

शहर की ओर पलायन वीरान होते गांव, कारण एवं निवारण एक अध्ययन

डॉ. राममिलन द्विवेदी

सह-प्राध्यापक

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध-सार

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिकों के पलायन का अध्ययन किया गया है, जो ग्रामीण पलायन के कारणों एवं निवारण पर आधारित है, गांव से शहर की ओर पलायन विकास एवं विस्तार की चाहत में स्थानान्तरण की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। न तो जनसंख्या को रोक पा रहे हैं और न ही देश के निर्धन वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है। गरीब और अमीर के बीच की खाई स्वतंत्रता के पश्चात् बढ़ती ही जा रही है। अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी ये तीन मुख्य कारण हैं, जो पलायन के लिये लोगों को विवश करते हैं। गाँवों में न तो शिक्षा का माहौल है और न ही रोजगार के कोई साधन। इस प्रकार निर्धनता ऐसा प्रमुख कारण है, जिसके कारण लोग पलायन को विवश हो जाते हैं।

कुंजी-शब्द

पलायन, वीरान, श्रमिक, शहर, गांव आदि।

भारत एक विशाल जनसंख्या और कम वर्ग क्षेत्रफल वाला देश है। जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ है, जिसमें 833 मिलियन अर्थात् कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत लोग गांवों व 31.15 प्रतिशत शहरों में निवास करते हैं, जबकि प्रथम स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 ई0 में ग्रामीण आबादी 83 प्रतिशत एवं शहरी आबादी 17 प्रतिशत थी। इस आँकड़े से स्पष्ट होता है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, फलस्वरूप ग्रामीण आबादी घट रही है, तथा शहरी आबादी बढ़ रही है। विभिन्न कारणों से लोग एक गांव से दूसरे

गाँव गाँव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर एवं एक देश से दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। अनेक लोग नई जगहों पर बस जाते हैं अथवा अपने पुराने स्थान पर आते-जाते रहते हैं। भारत में गाँवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। बढ़ती आबादी के कारण पलायन की समस्या काफी उग्र होती जा रही है। रोजी-रोटी एवं सुख-सुविधाओं की तलाश में गाँव का व्यक्ति शहरों की ओर पलायन करता है। इस पलायनवादी प्रवृत्ति से देश की विकास गति को निश्चित रूप से धक्का लगा है।

हमारे देश में पलायन के कारणों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे कारण हैं, जिनसे आकर्षित होकर लोग दूसरे स्थानों के लिए प्रस्थान करते हैं और दूसरे वर्ग में वे परिस्थितियाँ हैं, जिनसे विकर्षित होकर वे अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, अधिकतर पलायन गाँवों से शहरों की ओर होता है। देश में हालांकि ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन भारत सरकार की विकास नीति का प्रमुख मुद्दा रहा है। इसमें भी अधिक बल ग्रामीण विकास पर, गाँवों में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने और उन्हें रोजगार दिलाने पर दिया गया है, किन्तु इस सच से इंकार नहीं किया जा सकता कि जैसी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं, वैसी गाँवों में कतई नहीं है। इसलिए भारत में गाँवों से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. गांव से श्रमिक पलायन की स्थिति का अध्ययन करना
2. श्रमिक पलायन के कारणों की व्याख्या करना।
3. श्रमिक पलायन रोकने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

पलायन के कारण

जनसंख्या में वृद्धि: ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का पहला और मौलिक कारण जनसंख्या में होनेवाली तीव्र वृद्धि है। इस वृद्धि का परिणाम यह होता है कि भूमि पर जनसंख्या का यह भार असाध्य प्रतीत होता है और जीवन-यापन के लिए पलायन एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।

कुटीर उद्योगों का पतन प्राचीन भारतीय ग्रामों में कृषि के साथ ही साथ कुटीर उद्योग का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व था। इन कुटीर उद्योगों की सहायता से व्यक्ति समृद्ध आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे। कुटीर उद्योगों का पतन और जनसंख्या में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के कारण भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को प्रोत्साहन मिला है।

शहरों में उद्योग धन्धों की स्थापना - प्रायः यह देखा गया है, कि गांव की अपेक्षा शहरों में ज्यादा उद्योग धन्धों की स्थापना की गई है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आधार भूत उद्योगों की स्थापना शहरों में ही कि गई उद्योगों में श्रम बल की बेहद आवश्यकता होती है, जिस वजह से लोग शहरों की ओर चले जाते हैं।

नगरीय चकाचैंध - भारत में गाँवों से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति बेहद ज्यादा है। जहाँ गाँव में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परंपरा पर आधारित सामाजिक रूढ़ियाँ एवं प्राकृतिक प्रकोप है। वहीं शहरों ने अपनी चकाचैंध सुविधाओं, युवाओं के सपने, रोजगार के अवसर, आर्थिक विषमता और अनवरत अवसरों में आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार पुरुष और महिलाओं के एक बड़े समूह ने गांव से शहर की ओर पलायन किया है।

सामाजिक विषमता तथा शोषण - भारतीय ग्रामीण ढांचा अत्यंत ही रूढ़िवादी और परम्परावादी है। हमारे समाज में जातीय विषमता की जड़े बहुत गहरी हैं। गांवों में दलित तथा पिछड़ी जातियों के परिवारों के साथ अमानवयी आचरण किया जाता है और उन्हें सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अन्याय व असमानता का शिकार होना पड़ता है परिणामस्वरूप परेशान होकर वे गांवों की अपेक्षा शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर भागने के लिए विवश होते हैं।

अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव - शिक्षा व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु अति आवश्यक है, गांवों में अच्छी शिक्षा देने वाले संस्थानों का अभाव है जो थोड़े बहुत शिक्षण-संस्थान स्कूल कॉलेज है भी परंतु उनमें शहरों के जैसे सुविधाये व आधुनिक वातावरण का पूर्णता अभाव है, सभी अभिभावक माता पिता अनन्ने बच्चों को अच्छा वातावरण व शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य से गांव को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं।

रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव - गाँवों में कृषि भूमि का लगातार कम होते जाना, जनसंख्या बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-नगरों की तरफ जाना पड़ रहा है। गाँवों में मौलिक आवश्यकताओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है, क्योंकि गाँवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएँ शहरों की तुलना में बेहद कम हैं।

भूमिहीन कृषक - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी किसान या मजदूर होते हैं, जो भूमिहीन होते हैं। इन भूमिहीन कृषकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक व्यक्ति निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण अपनी जमीन बेच देते हैं। इन भूमिहीन कृषकों को जब गाँव में कोई काम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मात्र यही रास्ता बचता है कि आसपास के शहरों में जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाएं। फलस्वरूप वे गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

अन्य कारण - (1) गाँवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा के साधनों का अभाव। (2) सामाजिक सुरक्षा का अभाव। (3) यातायात और संचार साधनों का अभाव। (4) शहर, फैशन और सभ्यता के प्रतीक। (5) शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु। (6) प्राकृतिक आपदाएँ तथा गंभीर दुर्घटनाओं के घटित होने के कारण आदि।

शहर की ओर पलायन रोकने के प्रमुख उपाय - मुख्यतया गाँव में कृषक व खेतिहर मजदूर निवास करते हैं, उनकी अिजविका का मुख्य साधन कृषि व पशुपालन रहा है, जिसमें सरकारो को चाहिये की ग्रामीण संरचना को पुर्नजीवित करने के लिये कृषि में विविधता लाना तथा बागवानी पशुधन मत्स्यपालन आदि का विकास करना चाहिये सिंचाई के साधनों का विकास, कुटीर उदद्ययोगों की स्थापना बिजली सड़क पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रमुखता से होना चाहिये जिससे लोग पलायन न करें छोटे-मोटे काम धन्धों में लगकर अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को गाँव में रहकर ही पूरा कर सके।

मौलिक सुविधाओं का विस्तार - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए, जिसमें परिवहन सुविधा, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाएँ, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन सुविधाओं से गाँवों में रोजगार बढ़ने की पर्याप्त संभावना है। फलस्वरूप गाँवों से पलायन स्वतः रूकना शुरू हो जाएगा।

नये-नये रोजगार के अवसरों का सृजन - गाँवों में रोजगार प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम कृषि है। अतः कृषि योग्य भूमि का प्रयोग अनावश्यक रूप से दूसरे कार्यों जैसे- सड़क, मकान, उद्योग आदि में नहीं करना चाहिए। भूमि के कटाव, अवैध खनन व भू-माफियाओं से बचाव करने के प्रयत्न करना जरूरी है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना बंजर भूमि पर गाँवों के आस-पास की जा सकती है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके फलतः पलायन की प्रवृत्ति रूक सके।

स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण - ग्रामीण पलायन रोकने के लिए गाँवों में कुछ लोगों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना चाहिए। ये संगठन लोगों में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें शिक्षित करने, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने, आबादी नियंत्रित करने, नशाखोरी रोकने, आपसी सद्भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भय मुक्त वातावरण की स्थापना - ग्रामीण पलायन रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रमिकों के पलायन रोकने के लिये तमाम उपाय वर्तमान में किये जा रहे हैं, परंतु उनका लाभ सम्बंधित व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पा रहा है इसका सीधा सा कारण यह है कि बहुत सी योजनाएँ लोगों तक पहुँचने से पहले ही भ्रष्टाचार के चंगुल में फँस जाती हैं, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, ग्रामीण योजनाओं से सम्बंधित निगरानी समिति की व्यवस्था की जानी चाहिये गाँवों में कृषि से सम्बंधित नवीन पद्धतियों का प्रमुखता से विकास और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये, सिंचाई, उर्वकों एवं कीटनाशक के प्रयोग हेतु अनुदान दिया जाना चाहिये कृषि को केवल अजीविका का साधन नहीं होना चाहिये उससे कृषकों को लाभ भी हो सके। जिससे कृषकों में आत्मविश्वास स्वाभिमान जागृत होगा।

ग्राम पंचायतों का योगदान - गाँवों के विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षा, स्वच्छता, लघु सिंचाई, पेयजल, सड़कों का विकास व सामाजिक कल्याण आदि ऐसे अनेक कार्यों की जिम्मेदारी पंचायतों की है। ग्राम सभा में निर्णय करके पंचायतें अनेक सुधारों को ठीक तरह से लागू कर सकती हैं। इस प्रकार के अनेक सुधारात्मक कार्यवाही द्वारा गाँवों के लोगों का पलायन रोका जा सकता है।

ग्रामीण श्रमिकों तथा अन्य रोजगार विहीन युवकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाएं बनाकर उनको ट्रेनिंग आदि के लिए गाँव स्तर पर ही अनुदान राशि प्रदान करके कुशल श्रमिक

बनाना चाहिए। गाँव में परम्परागत व्यवसाय को पुर्नजीवित करने की बेहद आवश्यकता है, जैस-मिट्टी के वर्तन बनाना, कढ़ाई-बुनाई हथकरघा व अन्य छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण पलायन को काफी हद तक रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो गया है, कि ग्रामीण पलायन का प्रमुख कारण है। लोगों का अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु न्यूनतम आय गांवों में प्राप्त न हो पाना शहरी जीवन के तरफ आकर्षित होना बच्चों की शिक्षा के लिये उचित व्यवस्था न होना स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना सुरक्षा कारणों की वजह से भी लोग गांव से शहर को ओर चले जाते है।

सन्दर्भ

- (1) योजना मासिक पत्रिका प्रकाशन विभाग भारत सरकार मार्च 2014
- (2) सिंह कत्तर : रूरल डेवेलपमेंट,रोज पब्लिकेशन नई दिल्ली
- (3) अग्रवाल, डॉ. अनुपम : भारतीय आर्थिक विकास साहित्य भवन आगरा
- (4) घोष, पी.सी. : 2016 भारत में उद्योग की प्रगति की संभावनाएँ और बाधाएँ लेख
- (5) सिन्हा डॉ. वी.सी. : आर्थिक विचारों का इतिहास साहित्य भवन आगरा
- (6) कुमार पूर्णदु : भारत सामान्य ज्ञान 2015 आर्यन प्रकाशन बिहार
- (7) सिंह, भगवान प्रसाद : भारतीय अर्थव्यवस्था दैनिक जागरण कानपुर
- (8) कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
- (9) प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था विशेषांक साहित्य भवन आगरा
- (10) भारत 2023 प्रकाशन विभाग भारत सरकार